

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2023/

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक -

प्रार्थीगण  
1 रावताराम 2 डूंगराराम पिसरान  
हरलालराम 3 नारणाराम 4 हराराम 5  
उम्मेदारम पिसरान रणछाराम 6 मूलाराम  
7 चैनाराम पिसरान महेन्द्राराम 8  
नरसिंगाराम 9 मेवाराम पिसरान  
मंगलाराम 10 पेमाराम पुत्र जुंजाराम 11  
धोपों पत्नी महेन्द्राराम 12 संग्रामाराम  
पुत्र देवाराम 13 झीणी पत्नी पीराराम  
14 वैराराम 15 जोगाराम पिसरान  
पीराराम 16 केसी पत्नी मंगलाराम  
जाति राईका निवासी हमीरसिंह नगर  
(राणीगांव) तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 गिरधारीराम 2 प्रहलादराम 3 पदमाराम पिसरान  
लक्षमणाराम 4 नाथाराम पुत्र करनाराम 5 शंकराराम  
जाति मेगवाल 6 जोगाराम 7 गुमनाराम पिसरान  
मूलाराम 8 मगाराम पुत्र महेन्द्राराम 9 जीवाराम 9  
हमीराराम पिसरान हरजीराम 10 शंकराराम पुत्र  
कालूराम 11 नारणाराम 12 नीम्बाराम पिसरान  
बगताराम 13 लेहरोदेवी पत्नी बगताराम जाति राईका  
14 धनसिंह पुत्र सुजानसिंह 15 भीखसिंह पुत्र  
अजबसिंह जाति राजपूत निवासी हमीरसिंह नगर  
(राणीगांव) 16 प्रधानाचार्य राउप्रावि राईकों की बस्ती  
राणीगांव तहसील व जिला बाड़मेर 17 तहसीलदार  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 364/2023

दिनांक-

**आदेश**

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हमीरसिंह नगर पटवार क्षेत्र राणगांव तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 695/273 रकबा 2.1044 हैक्टेयर व खसरा संख्या 697/273 रकबा 8.1180 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक-

क्रमांक :- रीडर/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी राणीगांव तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रावताराम पुत्र हरलालराम वगैहरा जाति राईका निवासी हमीरसिंह नगर (राणीगांव) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गिरधारीराम पुत्र लक्षमणाराम वगैराह जाति राईका निवासी हमीरसिंह नगर (राणीगांव) तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर